न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 33/2021 (2021/55)

अपीलार्थी :–

देवाराम पुत्र निम्बाराम, जाति जाट, निवासी हरीनगर ढाढणिया भायला, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

1. प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, ढाढणिया भायला जरिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 755 ग्राम ढाढणिया भायला जो तहसीलदार (भू0अ0) बालेसर द्वारा दिनांक 13.09.2021 को स्वीकृत किया गया।

————

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा (अपीलार्थी)।
2. प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 17.02.2023

अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 755 ग्राम ढाढणिया भायला जो तहसीलदार (भू0अ0) बालेसर द्वारा दिनांक 13.09.2021 को स्वीकृत किया गया, के विरूद्ध पेश की है। प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रकरण से संबंधित मूल रेकर्ड तहसीलदार बालेसर से प्राप्त किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित। प्रकरण में अपीलान्ट अभिभाषक की बहस दिनांक 29.01.2023 को सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दिवाकर शर्मा ने बहस में बतलाया कि ग्राम पंचायत ढाढणिया भायला पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर के

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:29 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के कार्यालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.10.2021 को ग्राम ढाढणिया भायला के खसरा नं0 509 रकबा 83 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0 मु0 गोचर में से 5 बीघा भूमि का आवंटन प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र ढाढणिया भायला के भवन निर्माण हेतु करवा लिया। उक्त आदेश को अपीलार्थी के द्वारा सक्षम न्यायालय डिवीजन कमिश्नर जोधपुर में जरिये अपील के निरस्त करवा दिया। उक्त आवंटन आदेश निरस्त होने के बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए आवंटन आदेश को रिमाण्ड कर जिला कलक्टर को जांच कर नये सिरे से पुनः आदेश पारित किये जाने का आदेश पारित किया लेकिन तहसीलदार को आवंटन आदेश निरस्त होने की जानकारी होने के बावजूद भी अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक कर विधि की अवहेलना की है, इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी ने निरन्तर बहस में बतलाया कि अपीलार्थी ग्राम हरीनगर ढाढणिया भायला तहसील बालेसर का स्थाई निवासी है। अपीलार्थी द्वारा अपनी एकल खातेदारी कब्जाकाश्त भूमि जो ग्राम हरीनगर, पटवार हल्का ढाढणिया भायला, भू0अ0नि0क्षे0 बालेसर, तहसील बालेसर के खेत खसरा संख्या 597 कुल रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा भूमि आई हुई थी। उक्त भूमि से 4 बीघा भूमि बाबत् एक दान विलेख पत्र ग्राम पंचायत ढाढणिया भायला के पक्ष में दिनांक 22.07.2013 को निष्पादित किया गया था। उक्त दस्तावेज उपपंजीयक बालेसर जिला जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 22.07.2013 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 148, पृष्ठ संख्या 11, क्रम संख्या 2794 पर पंजीबद्धसुदा है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि का दान इस आशय से किया गया था कि ग्राम पंचायत ढाढणिया भायला में सरकारी अस्पताल के बाबत् निर्माण किया जा सकें। उक्त जमीन दान में दिये जाने के पश्चात् वित्तीय स्वीकृत के अभाव में उक्त भूमि पर सार्वजनिक राजकीय चिकित्सालय का निर्माण नहीं किया जा सका। इसके पश्चात ग्राम पंचायत ढाढणिया भायला से जिला कलक्टर जोधपुर से आवंटन के बाबत् तथ्यों को छूपाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए खसरा संख्या 509

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:29 IST
Reason: SelfAttested

गै0 मु0 गोचर में से 5 बीघा भूमि का आवंटन करवा दिया गया, उक्त आवंटन आदेश को न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपास्त व निरस्त किया जा चुका है इस कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण भी निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी ने बहस के अन्त में बतलाया कि राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन के बाबत् यह नियम है कि जिस उद्देश्य के लिए गैर मुमकिन भूमि जिसकी किस्म गोचर हो उक्त भूमि के आवंटन के बाबत् आवंटी को गोचर भूमि के आवंटन की दुगुनी भूमि अन्यत्र उपलब्ध करवानी होती है जो कि गोचर के लिए प्रयोग में आई जा सकें तथा आवंटन नियमों के अनुसार जिस उद्देश्य के लिए आवंटन करवाया जा रहा है यदि किसी उद्देश्य के लिए पहले से ही कोई भूमि मौजूद है तो अन्य भूमि में से आवंटन करवाने के हकदार नहीं है। अन्त में आलौच्य नामान्तरकरण को निरस्त करने तथा आवंटन आदेश के तहत जो भूमि ग्राम ढाढणिया भायला तहसील बालेसर के खसरा संख्या 509 रकबा 83 बीघा 12 बिस्वा किस्म गै0 मु0 गोचर में से 5 बीघा भूमि का आवंटन राजकीय चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित की उक्त भूमि को पुनः गै0 मु0 गोचर भूमि करने की इस्तदुआ की।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिला कलेक्टर, जोधपुर के आदेश क्रमांक प.12 (3–)राज/आवंटन/21/237 दिनांक 12.01.2021 की अनुपालना में स्वीकृत किया गया है उक्त आदेश को अपीलार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में चुनौती दी। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 23.07.2021 को अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण जिला कलक्टर, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम ढाढणिया के भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन हेतु ग्राम ढाढणिया भायला में भूमि की उपलब्धता यानि पूर्व से आवंटन योग्य भूमि उपलब्ध होने अथवा नहीं की जांच करवाने तथा अपीलार्थी के पक्ष को भी सुने जाने के पश्चात नये सिरे से विधि अनुरूप आदेश पारित करने के निर्देश दिए गए। स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त के आदेश की पालना में अपीलार्थी को माननीय जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:29 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, जोधपुर के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए। प्रथमतः अपीलार्थी की उक्त अपील **Res Judicata** (पूर्वन्याय या प्रांन्याय) से बाधित है क्योंकि अपीलार्थी ने जिस आदेश को माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में चुनौती दी, उसी आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण को इस न्यायालय में चुनौती दी है। द्वितीयतः नामान्तरकरण एक सरसरी कार्यवाही है अपीलाधीन नामान्तरकरण माननीय जिला कलेक्टर, जोधपुर के आदेश की पालना में स्वीकृत किया गया है अतः नामान्तरकरण कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी सारहीन होने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:29 IST
Reason: SelfAttested